भगवानाराम बनाम तहसीलदार धोरीमन्ना
प्रकरण संख्या 2025/333
निर्णय दिनांकः–17.09.2025

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः–193/2025 दर्ज तिथिः–04.09.2025

1. भगवानाराम पुत्र रामचन्द्र
जाति विश्नोई निवासी खरड़ पटवार हल्का धोरीमना तहसील धोरीमन्ना।

.......................प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार धोरीमन्ना

.........................असल विप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री हापूराम
अप्रार्थीगणः–एक तरफा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131,136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–17.09.2025

प्रार्थना–पत्र

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा –131,136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 886/806/5.3097 है0, 980/925/0.5505 है0 का वाके ग्राम खरड़ पटवार हल्का धोरीमना में आया हुआ है। उक्त आराजी के पास से आंशिक रकबा रास्ते के रूप में निकलकर संलग्न नजरिये नक्शा में परिशिष्ट अ में ए से बी जगह पर जहां बड़ा रास्ता चलता था तथा राज्य सरकार द्वारा डामर सड़क निर्माण तरमीम से भिन्न जगह पर प्रार्थी के खातेदारी खेत में किया गया। अतः वर्तमान में प्रार्थी के खातेदारी खेत में मौके पर निर्मित डामर सड़क की जगह तरमीम दुरस्त किया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर तरमीम दुरस्त किया जाना न्यायोचित है।

जवाब

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर विप्राथीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्राथीगण जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना से वर्तमान तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई जिस पर तहसीलदार धोरीमन्ना के पत्रांक 2381 दिनांक 16.09.2025 के द्वारा बिन्दुवार मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट मय नजरी नक्शा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:19:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार धोरीमन्ना ने अपनी जांच रिपोर्ट व विगतवार जबाव में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत कर परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का उल्लेख किया गया है।

3. तहसीलदार धोरीमना की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड की तरमीम संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार पाई गई है जिसमें खसरा संख्या 886/806,980/925 व इनके मध्य में स्थित खसरा संख्या 475 बरंग हरा के भाग का जमाबंदी में एक खसरा दर्ज कर रकबा 5.3097 0.5505 कुल 5.8602 है0 दर्ज कर मौका अनुसार तरमीम दुरस्त किया जाना उचित का लिखित उल्लेख किया गया है। इस दुदस्ती से गैर मुमकिन रास्ते की भूमि का रकबा कम नहीं होगा तथा तरमीम दुदस्त किये जाने से मौका व रेकर्ड में समानता रहेगी।

जिरह

4. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा अंतिम बहस की गई।विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारानकी जिरह सुनी गई। जो कि संक्षिप्त में निम्न प्रकार है:–

प्रार्थी	अप्रार्थी
प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–131 136 पर बहस	
1. प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त करने का कथन किया। तरमीम दुरस्त करने से वास्तविक मौके के अनुसार तरमीम हो जाने से मौके पर कोई विवाद नहीं रहेगा इसलिए परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त कर इसी अनुसार नक्शा ट्रैस व ऑनलाईन नक्शे में दुरस्ती का इन्द्राज किया जाने का आदेश फरमावें का निवेदन पेश किया।	1. विप्रार्थी संख्या 1 जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 16.09.2025 के अनुसार दुरस्त कर संलग्न परिशिष्ट 'ब' के अनुसार तरमीम दुरस्ती किये जाने पर मौके एवं रेकर्ड में भिन्नता नहीं रहेगी तथा रकबा भी यथावत रहेगा का उल्लेख किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (बाड़मेर)

5. उक्त प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में यह निर्विवाद तथ्य है कि मौके पर तरमीम त्रुटीपूर्ण है तथा तहसीलदार धोरीमन्ना की मौका रिपोर्ट में संलगन नक्शा परिशिष्ट 'ब' के अनुसार तरमीम दुरस्त किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:19:49 IST
Reason: SelfAttested

निष्कर्ष

6. इस प्रकार प्रकरण में गैर मुमकिन रास्ते के [illegible] खसरा संख्या 475 रकबा 0.0809 की तरमीम भू–नक्शा में विपरीत अंकित [illegible] से तहसीलदार धोरीमन्ना की मौका रिपोर्ट दिनांक 16.09.2025 के साथ संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट–'ब' के अनुसार तरमीम दुरूस्ती कर राजस्व रेकर्ड नक्शा दुरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

भगवानाराम बनाम तहसीलदार धोरीमन्ना
प्रकरण संख्या 2025/333
निर्णय दिनांकः–17.09.2025

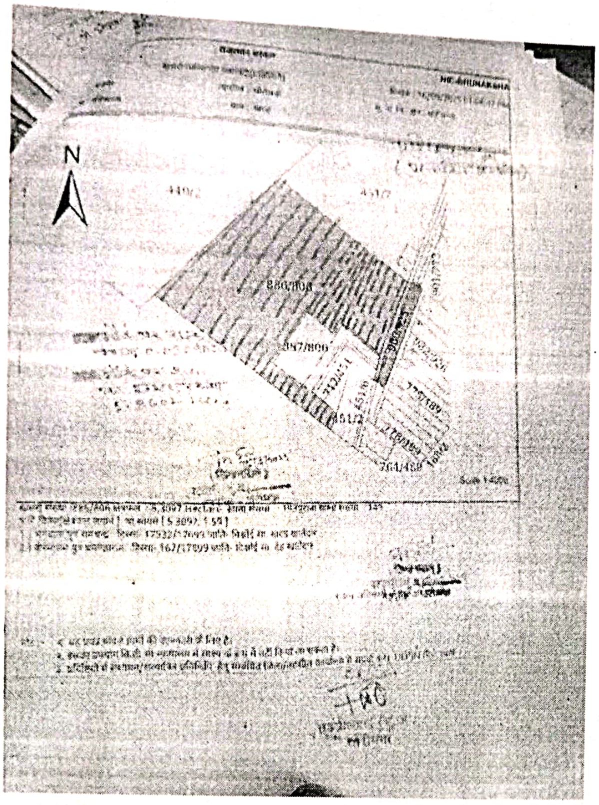

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बिन्दु संख्या 06 व राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 30.09.2021 बिन्दु संख्या 8 के निर्देशों के साथ स्वीकार किया जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कि मौका रिपोर्ट दिनांक 16.09.2025 में संलग्न नजरी नक्शा 'परिशिष्ट 'ब' के अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार धोरीमन्ना की मौका रिपोर्ट दिनांक 16.09..2025 व नजरी नक्शा 'परिशिष्ट 'ब' निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार धोरीमन्ना को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 16.09.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:19:49 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथराम आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना–बाड़मेर

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना